139

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 3463–I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–8–2014 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 122–II/2006

———

रबीन्द्र मोहन नामदेव पुत्र रामगोपाल नामदेव

ग्राम ओरछा तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ (म.प्र.) .....आवेदक

विरूद्ध

1– रमेशचन्द्र जैन पुत्र हीरालाल जैन

निवासी 214 बासुदेव झांसी उत्तर प्रदेश

2– म0 प्र0 शासन .....अनावेदक

———

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–1 की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदक क–2 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7 अक्टूवर, 2016 को पारित)

यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय द्धारा प्रकरण कमांक 122–II/2 006 निगरानी में तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम ओरछा की भूमि खसरा कमांक 557/1 रकबा 1.214 हैक्टर का पट्टा नाथूराम काछी पुत्र हरपे काछी को नायब तहसीलदार ओरछा ने प्र0क0 24 अ–19/1973–74 में पारित आदेश दिनांक 22–4–1973 से प्रदान

किया गया। पट्टाग्रहीता का नाम शासकीय रिकार्ड में 1977–78 तक दर्ज रहा और इसके बाद उक्त प्रविष्टि विलोपित कर दी गई। पट्टाग्रहीता द्वारा खसरा प्रविष्टि के सुधार हेतु नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया जो प्र0क0 19/अ–6/1995–96 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 25–9–1996 से पट्टाग्रहीता के नाम की प्रविष्टि खसरा में दर्ज करने के आदेश दिये। तदुपरान्त इस भूमिस्वामी ने वादग्रस्त भूमि के अंश भाग को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अनावेदक क.–1 को दिनांक 30–10–1996 को विक्रय कर दी गई। पट्टाग्रहीता नाथूराम काछी द्वारा विक्रय से बर्जित शव्द को विलोपित किये जाने वावत नायब तहसीलदार ओरछा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जो प्र0क0 121/2001–02 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 24–4–2003 से विक्रय से बर्जित शव्द विलोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर टीकमगढ के समक्ष निगरानी प्र0क0 127/2002–03 प्रस्तुत की जिसमे पारित आदेश दिनांक 14–10–2003 से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 24–4–2003 निरस्त किया गया। कलेक्टर टीकमगढ के आदेश से विरूद्ध होकर अनावेदक क.–1 द्वारा अपर आयुक्त, सागर के समक्ष निगरानी प्र0क0 160/अ–6/2002–03 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 24–5–2005 को स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्र0क0 122–।।/2006 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 19–8–2014 को अस्वीकार की गई। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदक अभिभाषक द्वारा जिन आधारों पर पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है वह आधार राजस्व मण्डल द्वारा प्र0क0 निगरानी 122–।।/2006 में पारित आदेश दिनांक 19–8–2016 में पूर्व में ही निर्णित किये जा चुके है। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्तपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल या गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक अभिभाषक ने जो पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है उसक परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। पुर्नविलोकन आवेदन में राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश में प्रत्यक्षदर्शी भूलों के होने का तथा निगरानी मेमों के बिन्दुओं को विचार में नहीं लिए जाने का लेख है, किन्तु ऐसी कौन–कौन सी भूलें और कौन–कौन से बिन्दु है जिन पर विचार नहीं हुआ यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार 2.1 से 2.7 में भी कोई नई बात नहीं लिखी गई है। नाही तर्क के समय कोई ऐसा नया बिन्दु प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकाश में पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जाए। आवेदक की ओर से प्रस्तुत सभी पुर्नविलोकन के बिन्दु और आधार राजस्व मण्डल और अपर आयुक्त एंव कलेक्टर के आक्षेपित आदेश में विधिवत् और समुचित रूप से विचारित होकर निर्णित हो चुके है। पुर्नविलोकन प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 उचित होने से स्थिर रखे जाने येाग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 122/।।/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 विधिवत होकर हस्तक्षेप योग्य न होने से यथावत रखा जाकर, पुर्नविलोकन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो।।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर